



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-1563/MH/64/2023-RO-BH

दिनांक: 27.05.2026

कलेक्टर एवं जिलाधिकारी,  
जिला-चंद्रपुर,  
कलेक्टर कार्यालय,  
चंद्रपुर-442401, महाराष्ट्र,  
ई-मेल: collector.chandrapur@maharashtra.gov.in

विषय: श्री धीरज सेडमाके, अध्यक्ष, आदिवासी अन्याय अत्याचार निवारण समिति चंद्रपुर, लिंगो सदन, छत्रपती नगर, दे.गो. तुकूम वार्ड-2 चन्द्रपुर - चन्द्रपुर जिले के राजुरा, कोरपना, जिवती और गोंडपिपरी तहसील के पेसा क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजाति के लोगों को अधिकार पत्र प्रदान करने के सम्बंध में प्राप्त अभ्यावेदन।

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 22.03.2024 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 15.06.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)  
निदेशक/Director  
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री धीरज सेडमाके,  
अध्यक्ष, आदिवासी अन्याय अत्याचार निवारण समिति चंद्रपुर,  
लिंगो सदन, छत्रपती नगर, दे.गो. तुकूम वार्ड-2,  
चंद्रपुर (महाराष्ट्र)  
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग  
में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes  
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-1563/MH/64/2023-RO-BH

दिनांक: 22/3/2024

सेवा में,

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,  
जिला-चंद्रपुर,  
कलेक्टर कार्यालय,  
चंद्रपुर, महाराष्ट्र 442401  
ई-मेल : collector.chandrapur@maharashtra.gov.in

विषय: श्री धीरज सेडमाके, अध्यक्ष, आदिवासी अन्याय अत्याचार निवारण समिति चंद्रपुर, लिंगो सदन, छत्रपती नगर, दे.गो. तुकूम वार्ड-2 चन्द्रपुर - चन्द्रपुर जिले के राजुरा, कोरपना, जिवती और गोंडपिपरी तहसील के पेसा क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजाति के लोगों को अधिकार पत्र प्रदान करने के सम्बंध में प्राप्त अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर दिनांक 23.02.2024 को अपराह्न 12:00 बजे आयोग के माननीय उपाध्यक्ष (कार्यवाहक) महोदय की अध्यक्षता में होने वाली बैठक का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त बैठक का कार्यवृत्त इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है की बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को 30 दिन के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि

(एच. आर. मीना)  
अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: [researchofficer-esdw@ncst.nic.in](mailto:researchofficer-esdw@ncst.nic.in)

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री धीरज सेडमाके,  
अध्यक्ष,  
आदिवासी अन्याय अत्याचार निवारण समिति चंद्रपुर,  
लिंगो सदन, छत्रपती नगर, दे.गो. तुकूम,  
वार्ड-2, चन्द्रपुर,  
महाराष्ट्र

2245-46  
ISSUED